

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2832
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2020

राइट-ऑफ-वे प्रभार

2832. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास फाइबर बिछाने की अनुमति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए राइट-ऑफ-वे प्रभारों का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राइट-ऑफ-वे अनुमति में तेजी लाने और राइट-ऑफ-वे प्रभारों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार के पास अनंतपुर जिले के इंटरनेट और मोबाइल संपर्क रहित गांवों का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का उच्च गति प्रणाली वाले मोबाइल टावरों की स्थापना करके उक्त जिले में 5जी नेटवर्क को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) जी, नहीं।

(ख) भूमिगत और भूतल अवसंरचना निर्माण से संबद्ध मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) से संबंधित कठिनाईयों को कम करने और आरओडब्ल्यू संबंधी एकसमान नीति लाने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 अधिसूचित किया था। मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) प्रदान करने के लिए प्रभारों से संबंधित इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- i. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के लिए 1000 रूपए प्रति किलो मीटर तथा टॉवर लगाने के लिए 10,000 रूपए प्रति आवेदन की अधिकतम दर पर मार्गाधिकार के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए एक बार (वन-टाइम) शुल्क लगाना।
- ii. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के मामले में सिर्फ पुनःस्थापन शुल्क लगाना।

iii. टावर लगाने के मामले में अचल संपत्ति के मूल्य के लिए मुआवजा ।

भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा दूरसंचार अवसंरचना की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श, क्षेत्रीय सम्मेलनों एवं समर्थन कार्यशालाओं के आयोजन जैसे कदम उठाए गए हैं।

(ग) अनंतपुर जिले के दो गांव नामतः लक्षामुद्रम और अमागोंडापालेम ऐसे हैं जहां मोबाइल एवं इंटरनेट कवरेज उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत दिसंबर, 2019 में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2022 तक अनंतपुर जिले के गांवों सहित देश के सभी गांवों को दूरसंचार अवसंरचना से कवर करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) भारत में 5जी विजन को पूरा करने एवं नीतिगत पहल एवं कार्य योजनाओं की सिफारिश करने के लिए सितंबर, 2017 में 5जी इंडिया 2020 के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उच्च स्तरीय फोरम का गठन किया गया था । उच्च स्तरीय फोरम में अगस्त, 2018 में "मेकिंग इंडिया 5जी रेडी" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार भारत में 5जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्थकारी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। शीघ्र ही 5जी सेवाओं की शुरुआत की जाएगी एवं ये सेवाएं 'इकोसिस्टम' के रूप में सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला में उपलब्ध हो जाएंगी तथा सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होगी। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उचित समय पर अनंतपुर जिले को भी शामिल किया जाएगा।
